



सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर के मुख्य आयुक्त का कार्यालय
Office of the Chief Commissioner, Customs & Central Tax,
विशाखापटनम क्षेत्र Visakhapatnam Zone

प्रथम तल, जीएसटी भवन, पत्तन क्षेत्र, विशाखापटनम - 530035
1st Floor, GST Bhavan, Port Area, Visakhapatnam - 530035
(P): 0891-2568837 (F) 0891-2561942 ccu-cexvzg@nic.in



कार्यालय आदेश संख्या 13/2021

दिनांक: 27-07-2021

विषय: केंद्रीय पंजीकरण इकाई (सीआरयू) का प्रभार सौंपने के संबंध में।

कार्यालय आदेश संख्या 16 दिनांक 11-08-2020 और 9/2021 दिनांक 17-05-2021 के अधिक्रमण में और मुख्य आयुक्त कार्यालय विशाखापत्तनम में अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित अधिकारी सीआरयू को सौंपे गए सभी कार्यों का तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक निर्वहन करेंगे।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	देबाशीश माझी	कार्यकारी सहायक
2.	तुषार कांति नाथ	कार्यकारी सहायक
3.	अरूण कुमार मौर्य	कार्यकारी सहायक
4.	नीरज कुमार	कर सहायक
5.	बी. मानसा	कर सहायक
6.	के. ब्रम्हानंदम	हेड हवलदार

यह प्रभार सीसीओ कार्य आवंटन आदेश द्वारा आबंटित उनके नियमित प्रभारों के अतिरिक्त है। सीआरयू को निम्नानुसार संचालित किया जाएगा:

क्र.सं.	नियमित प्रभार	लिक अधिकारी
1.	देबाशीश माझी	अरूण कुमार मौर्य
2.	तुषार कांति नाथ	बी. मानसा
3.	नीरज कुमार	के. ब्रम्हानंदम

2. सीआरयू के कार्यों और जिम्मेदारियों का संक्षिप्त विवरण:

i. सीआरयू डाक की प्राप्ति के तुरंत बाद उस पर दिनांकित मोहर लगा देगा। इसके बाद, इसे स्कैन करके ई-ऑफिस में दर्ज (डायरी) किया जाएगा। प्रणाली द्वारा जारी डायरी नंबर डाक पर नोट किया जाएगा। डायरी की गई डाक ई-ऑफिस के माध्यम से उस व्यक्ति को भेजी जाएगी, जिसे वह संबोधित है। तथापि, सीआरयू द्वारा गोपनीय/गुप्त डाक नहीं खोली जाएगी और प्राप्तकर्ता उसे वैसे ही वह डाक उन्हें भेज देगा जिसे वह संबोधित है जो इसे खोलेंगे और आवश्यकता के अनुसार डायरी करेगा या उनके निजी सहायकों द्वारा डायरी किया जाएगा।

ii. सीआरयू सभी भौतिक डाक कालानुक्रमिक रूप से एक फ़ाइल फ़ोल्डर में रखेगा। समय-समय पर फोल्डर को सिल कर सीआरयू द्वारा सुरक्षित रूप से अपनी नियंत्रण में रखा जाएगा। यदि किसी शाखा या अनुभाग को किसी डाक की आवश्यकता होती है, तो यह उनके द्वारा सीआरयू से लिया जाएगा। ऐसे मामले में, सीआरयू डाक के पहले पृष्ठ की एक फोटोकॉपी रखेगा और डाक प्राप्त करने वाले व्यक्ति से इस पर रसीद लेगा।

iii. भौतिक रूप में प्रेषण भी सीआरयू द्वारा किया जाएगा, जो आगे प्रेषण के लिए "सीआरयू द्वारा प्रेषण" विकल्प के माध्यम से उपयोगकर्ताओं द्वारा इसे भेजे गए डाक को 'प्राप्त' करेगा।

**हस्ता.
(वाई भास्कर राव)
संयुक्त आयुक्त**

[फाइल सी.सं.1(5)/1/2020-0/0 CC-CGST-ZONE-VISAKHAPATNAM से जारी]

सेवा में

1. संबंधित अधिकारियों को ।
2. मुख्य आयुक्त कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचनार्थ ।